UPLK010079462026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० (अत्याचार निवारण) अधिनियम, लखनऊ।

पीठासीन अधिकारी:– नीतू पाठक (एच०जे०एस०), जे०ओ० कोड नं०–यू०पी० 6198

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3898/2026

सुखराम आयु लगभग 35 वर्ष पुत्र शीतल, निवासी– ग्राम माती, थाना– बिजनौर, जिला– लखनऊ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **.....अभियोगी।**

मु०अ०सं०–230/2025
धारा–61(2),318(2),338,336(2),340(2),351(3),352 बी०एन०एस०
थाना–बिजनौर, लखनऊ।

दिनांक–24.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त सुखराम की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त जमानत आवेदन पर उसके विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक अनुसार, वादिनी मुकदमा श्रीमती सुरसती द्वारा सम्बन्धित थाने पर एक तहरीर इस अभिकथन के साथ दी गई कि "प्रार्थिनी श्रीमती सुरसती पत्नी स्व० रंगीलाल निवासिनी अहमदपुर उर्फ कमलापुर थाना बिजनौर जिला लखनऊ हाल निवासी ग्राम माती थाना बिजनौर लखनऊ की है। मेरी भूमि गाटा संख्या 216 प्लाट स्थित ग्राम अहमदपुर उर्फ कमलापुर थाना बिजनौर लखनऊ मेन रोड पर स्थित है, जिसको मुन्ना यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासी एफ 8–42 रजनी खण्ड पावर हाउस के पास जिला लखनऊ तथा राजेश यादव पुत्र श्री राम बली यादव निवासी भाऊपुर कोढ़ा गालिब पट्टी उर्फ भाऊपुर जिला बलिया उत्तर प्रदेश ने मिलकर मेरी जगह पर प्रदीप पुत्र हरि लाल निवासी परवर पश्चिम थाना बिजनौर लखनऊ की मौसी रामदुलारी को खड़ा करके मुन्ना यादव एवं राजेश यादव के नाम फर्जी दस्तावेज तैयार कर मेरी जमीन का बैनामा करा लिया गया इसी जमीन के पैसों के लेनदेन के कारण मेरे पुत्र संदीप पुत्र स्व. रंगीलाल की भी हत्या कर दी गयी व मेरी बहू शिवानी पत्नी स्व. संदीप निवासिनी अहमदपुर उर्फ कमलापुर वर्तमान पता माती थाना बिजनौर लखनऊ को एफआईआर नं०–0294 दर्ज करायी थी उपरोक्त व्यक्ति मुन्ना यादव एवं राजेश यादव तथा उनके सहयोगी संपत्ति को छद्म एवं कूट रचित दस्तावेज हड़पना चाहते है और प्रार्थिनी से गाली गलौज भी की अब उपरोक्त लोग प्रार्थिनी की हत्या करने पर आमदा है। प्रार्थिनी एक दलित महिला है। अतः महोदय से अनुरोध है कि मुकदमा लिखकर कार्यवाही करने की कृपा करें"।

3. वादिनी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण मुन्ना यादव, राजेश यादव, प्रदीप व रामदुलारी के विरुद्ध मु०अ०सं०–230/2025, धारा–318(2),338,336(2), 340(2),351(3),352 बी०एन०एस० व धारा–3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट के तहत अपराध के सम्बन्ध में थाना–बिजनौर, जनपद–लखनऊ में पंजीकृत की गई। विवेचना अमल में लाई गई। दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया तथा मामले में धारा–61(2) बी०एन०एस० की बढोत्तरी की गई। बाद विवेचना मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में आरोप पत्र अं० धारा–61(2),318(2),338,336(2),340(2),351(3),352 बी०एन०एस० प्रेषित किया गया जिंस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त सुखराम की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र में संक्षेप में यह कहा गया है कि उसका उक्त मामले में यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। वादिनी मुकदमा द्वारा रंजिश के चलते शक के आधार पर उसको नामजद मुल्जिम बनाया है। वादिनी मुकदमा ने उस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में बयान के दौरान भूमि विक्रय की डीलिंग का जो आरोप लगाया है वह बिल्कुल असत्य है क्योंकि वह अनपढ़ व्यक्ति है और मेहनत मजदूरी कर अपनी जीविका चलाता है। वह किसी अन्य मामले में सजायाफ्ता नहीं है। थाना बिजनौर की पुलिस द्वारा की गयी विवेचना तथा प्रस्तुत किये गये अभिलेख प्रमाणित प्रति, पंजीकृत विक्रय–विलेख में कहीं भी उसका संलिप्त होना अभिलिखित नहीं है। स्थानीय थाने की पुलिस द्वारा उसका जो बयान दर्शित किया गया है वह पुलिस अभिरक्षा में उस पर दबाव बनाकर अंकित कराये गये हैं, जो कि पूर्णतया असत्य है। उसकी गिरफ्तारी के समय एवं घटना कारित होने के समय किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी का बयान नहीं है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की याचना की गई।

6. प्रार्थी/अभियुक्त सुखराम को दिनांक–18.10.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में होना कहा गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर षडयन्त्र करके छलपूर्वक वादिनी मुकदमा की जमीन का बैनामा उसके स्थान पर सहअभियुक्ता रामदुलारी को खड़ा करके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करा लेने का अभियोग है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति व आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है तो भविष्य में साक्ष्यों से छेड़छाड़ व गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त दोषी है या निर्दोष इस तथ्य का निर्धारण पत्रावली पर सम्पूर्ण साक्ष्य आने के बाद ही किया जा सकेगा।

7. अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त सुखराम को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

8. प्रार्थी/अभियुक्त **सुखराम** द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक–24.06.2026

(नीतू पाठक)
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० (अत्याचार निवारण) अधिनियम, लखनऊ।

Digitally signed by Neetu pathak
Date: 2026.06.24 17:04:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court